द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र o I R I C CPC मय शपथ
खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस वकील उभयपक्षगान
सुनी। आवेदकगण ने वाद ग्रस्त भूमि
ख०नं० 2740 रकबा 1.75 हे० सम्पूर्ण
को रजि० विक्रय लेख दिनांक 2-7-19
से खरीद किया है। अतः आवेदकगण
के ग्रस्त भूमि में हक निहीत है न्यायहित
मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

अतः आवेदकगण का प्रा० पत्र o I R I C CPC
स्वीकार किया जाता है। तथा आवेदकगण
को अप्रार्थी सं० 9 व 10 पर प्रतिस्थापित
किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने
जवाब 1 ता 5 व 9, 10 हेतु तथा तामील
अप्रार्थी सं० 6 ता 8 हेतु दिनांक 4-11-19
को पेश हो।

31.10.19

उप[redacted]धिकारी
[redacted] (सीकर)

4/11/19 वकुलाय अनुपस्थित रहे। कार्य स्थगित
रखा। पी० साहब अन्य कार्य में व्यस्त
मिसल दिनांक 11/11/19 को पेश हो।

11/11/19 पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित
सुनवाई प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रा०पत्र मे पेश शुदा प्रा०पत्र अ. धारा 11 CPC स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारीज किया जा चुका है जब मूल वाद ही खारीज हो चुका है तो उनवानी प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner